भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2245

उत्तर देने की तारीखः 08.03.2021

उच्च शिक्षा के लिए निर्धन विद्यार्थियों हेतु योजना

†2245. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा के लिए निर्धन विद्यार्थियों की सहायता हेतु कोई योजना विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : जी, हाँ। सरकार निर्धन छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण देने के लिए भारत के संविधान में 103वां संशोधन किया है। साथ ही, सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फीस आम तौर पर नाममात्र होती है और निर्धन छात्रों की भी फीस माफ की जाती है।

इसके अलावा, छात्रों के लिए शिक्षा ऋण के साथ-साथ शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा भी उपलब्ध है और बड़ी संख्या में राष्ट्रीयकृत बैंक इस सुविधा को जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाते है। साथ ही, राष्ट्रीय नीति के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएँ लागू की जा रहीं हैं कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को भी भारत में उच्चतर शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो, जिससे कि शिक्षा के माध्यम से वंचित लोग भी सामाजिक-सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

(ख) भारत सरकार द्वारा गरीब छात्रों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

(ग) और (घ): सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के लिए सहायक कर्मचारी स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपने विश्वविद्यालयों और उसके संबद्ध कॉलेजों में छात्र परामर्श केंद्र बनाएँ जहाँ एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की सेवाओं का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके। उच्चतर शिक्षण संस्थानों के ऑन एवं ऑफ परिसरों के छात्रों की सुरक्षा के लिए यूजीसी द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को जारी किये गये हैं।

*****

अनुबंध-1

'उच्च शिक्षा के लिए निर्धन विद्यार्थियों हेतु योजना' के संबंध में दिनांक 08.03.2021 को माननीय संसद सदस्य श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2245 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	योजना का नाम
1	कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस)
2	जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना
3	स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय के रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति योजना
4	गेट/जीपैट अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को एमई / एम.टेक / एम.फार्मा के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति
5	एससी /एसटी उम्मीदवारों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति
6	एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति
7	"ईशान उदय" पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना
8	स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
9	एससी / एसटी / ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग
10	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएं
11	भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
12	ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर प्री- मैट्रिक और पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति
13	ईबीसी के लिए डॉ. अंबेडकर पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति
14	ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफ-ओबीसी)
15	एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
16	एसटी छात्र के लिए प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
17	एसटी छात्रों के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा
18	एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

*****